न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2239 सन 2026
CNR. No.UPSP010058342026

सागर पुत्र मामचन्द, निवासी लतीफपुर, थाना नकुड, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 291/2026
धारा 109(1) बी0एन0एस0
3/25/27 आर्म्स एक्ट
थाना नकुड, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

05.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सागर** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त 22.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मामचन्द पुत्र रमेशचन्द का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सुशील कुमार द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 21.05.2026 को 12:30 बजे अपने घर के पास खेत पर काम कर रहा था, तभी सागर आया, और वादी के 30 मीटर दूर से आवाज लगायी, जिस पर वादी ने देखा तो उसने अपने हाथ में लिए तमंचे से करीब 10 मीटर की दूरी से वादी के उपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, तमंचे की गोली वादी के पास से निकल गयी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध धारा 109(1) बी.एन.एस के अर्न्तगत पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उसे मुकदमा उपरोक्त में चुनावी रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। पुलिस द्वारा प्रार्थी का झूठा चालान किया गया है। प्रार्थी का उपरोक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। कथित घटना मे वादी को किसी प्रकार की कोई चोट नही है। प्रार्थी दिनांक 22.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे हैं। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार किए जाने पर उसके कब्जे से उपरोक्त घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त द्वारा

जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर तमंचे से फायर किया जाना अभिकथित है, परन्तु केस डायरी के अवलोकन से वादी को कोई चोट आने के सन्दर्भ में कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या केस डायरी पर उपलब्ध होना दर्शित नही है। केस डायरी के अवलोकन से दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य सभी मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर होने का कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सागर** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–05.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891